न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी :– सुरेन्द्र प्रसाद (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
3/106	1/1/25	3.1.25

उनवान

01. छज्जूराम पुत्र कन्नीराम जाति जाटव निवासी गोहा तहसील रामगढ

प्रार्थी

बनाम

01. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ — अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी छज्जूराम पुत्र कन्नीराम द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की आराजी खसरा नं0 327 ग्राम गोहा तहसील रामगढ में स्थित है जिसमें ऑनलाईन करते समय राजस्व नक्शे में खसरा नं0 328 व खसरा नं0 327 दोनो को आपस में बदल दिया गया है नक्शा लठ्ठा एवं मोमियाशीट में उक्त खसरा नंबर सही प्रकार से दर्ज है नक्शा लठ्ठा के अनुसार सही कराने की कृपा करे।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि ऑन लाईन राजस्व नक्शा में खसरा नंबर 328 के स्थान पर 327 दुरस्त करवाने की कृपा करे।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी तहसीलदार रामगढ द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। जिसका विवरण इस प्रकार है कि मुताबिक रिपोर्ट पटवारी वाके ग्राम गोहा के आराजी खसरा नम्बर 327 व 328 सम्बन्धित नक्शे की दुरस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, हाल बन्दोबस्त सम्वत 2058 के अनुसार नक्शे में आराजी खसरा नम्बर 327 व 328 सही स्थान पर है, किन्तु ऑनलाईन राजस्व नक्शें में दोनो नम्बर आपस में बदल गये है, 327 के स्थान पर 328 व 328 के स्थान पर 327 अंकित हो गये है। श्रीमान राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के परिपत्र आदेश कमांक/DILRMP/प.126/2021/3685 दिनांक 06.10.2021 के अनुसार उक्त नक्शे में दुरूस्ती राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रावधान है। जो कि श्रीमान के स्तर पर ही शुद्व किया जाना सम्भव है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) की रिपोर्ट पर मनन किया गया। अप्रार्थी (पैरोकार सरकार) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वाके ग्राम गोहा के आराजी खसरा नम्बर 327 व 328 सम्बन्धित नक्शे की दुरस्ती हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, हाल बन्दोबस्त सम्वत 2058 के अनुसार नक्शे में आराजी खसरा नम्बर 327 व 328 सही स्थान पर है, किन्तु ऑनलाईन राजस्व नक्शें में दोनो नम्बर आपस में बदल गये है, 327 के स्थान पर 328 व 328 के स्थान पर 327 अंकित हो गये है। श्रीमान राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के परिपत्र आदेश कमांक/DILRMP/प.126/2021/3685 दिनांक 06.10.2021 के अनुसार उक्त नक्शे में

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते रामगढ़ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)